

अध्याय VII

आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

7.1 प्रस्तावना

आन्तरिक नियंत्रण एक अनिवार्य प्रक्रिया हैं जो किसी स्वत्व के प्रबन्धन तथा कार्मिक द्वारा प्रभावित हैं और जोखिमों के समाधान तथा उचित आवश्वासन देने के लिए डिजाइन की गई हैं कि स्वत्व के मिशन की खोज करने में निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य प्राप्त किए जा रहे हैं:

- सुव्यवस्थित, नीतिपरक मितव्ययी, दक्ष तथा प्रभावी प्रचालन निष्पादित करना
- उत्तरदायी बाध्यताएं पूरी करना
- लागू कानून तथा विनियमों का पालन करना
- हानि, दुरुपयोग तथा क्षति¹⁷ के प्रति संसाधनों की सुरक्षा करना

7.2 लेखापरीक्षा परिणाम

अभिलेखों की जांच करने के दौरान हमारे ध्यान में आन्तरिक लेखापरीक्षा, संवीक्षा, निर्धारित नियम पुस्तक में कमियां जैसे क्षेत्रों में अनेक उदाहरण आए जो संकेत करते हैं कि विभाग वर्तमान प्रणालियों तथा कार्यविधियों की पर्याप्तता की देखभाल करे। हमने ₹ 179.69 करोड़के वित्तीय निहितार्थ वाले 94 मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को ये आपत्तियां सूचित की। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 178.65 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 93 मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2014) जिसमें से ₹ 57.12 करोड़ की वसूली कर ली गई थी। उपर्युक्त 93 पैराग्राफों में से ₹ 145.43 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 75 पैराओं में मंत्रालय/विभाग ने सुधार कार्रवाई आरम्भ की/पूर्ण कर ली। हमने

¹⁷ इन्टोसाई जीओवी 9100-सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आन्तरिक नियंत्रण मानकों के मार्गनिर्देश

इन पैराग्राफों के ब्यौरे परिशिष्ट III में भेजे हैं। आपतियाँ तीन प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत शामिल की गई हैं:

विवरणियों की संवीक्षा

निर्धारितियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा

अन्य मामले

7.3 विवरणियों की अपर्याप्ता संवीक्षा

हमने रैंजो में एसटी-3 विवरणियों की जांच करते समय छः उदाहरण देखे जहाँ हमने देखा कि विवरणियों की अपर्याप्त संवीक्षा के कारण कर भुगतान की देयता अधिकारियों की जानकारी से छिप गई।

7.3.1 संग्रहीत परन्तु सरकारी खाते में जमा न किया गया सेवा कर

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68 प्रावधान करती हैं कि कोई कर योग्य सेवा देने वाला प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित दर पर सेवा कर भुगतान करेगा। सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 6 अनुबद्ध करता है कि सेवा कर माह के छठे दिन तक केन्द्र सरकार के क्रेडिट को अदा किया जाएगा यदि शुल्क इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा अन्य मामलों में कलैण्डर माह जिसमें भुगतान प्राप्त किया जाता है, के तत्काल अनुवर्ती माह के पांचवे दिन तक जमा किया जाता है। यदि निर्धारित निर्धारित अवधि के अन्दर केन्द्र सरकार के खाते को कर अथवा उसके किसी भाग को क्रेडिट करने में असफल होता है तो वह वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 की अन्तर्गत निर्धारित दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

एसीईएस प्रणाली का जयपुर। कमिश्नरी में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर रैंज बहरोड में एसटी 3 विवरणियों की संवीक्षा और सेवा प्राप्तकर्ताओं के अभिलेखों से प्रति सत्यापन के दौरान सेरा ने देखा कि पांच सेवा प्रदाताओं ने जनशक्ति आपूर्ति की सेवा दी थी और 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान दो सेवा प्राप्तकर्ताओं से ₹ 71.66 लाख राशि का सेवा कर संग्रहीत किया। इन पांच सेवा प्रदाताओं ने या तो सुसंगत अवधि के लिए एसटी 3 विवरणियां फाइल नहीं की थीं अथवा शून्य विवरणी फाइल की। इसलिए वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रभार्य ब्याज तथा धारा 76 और 77 के

अन्तर्गत शास्ति के साथ इन सेवा प्रदाताओं से ₹ 71.66 लाख का सेवा कर वसूल किया जाना आवश्यक हैं।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब कमिश्नरी ने उत्तर दिया (मई 2014) कि इन पांच सेवा प्रदाताओं ने ₹ 40.71 लाख का आंशिक सेवा कर भुगतान कर दिया था और सेवा कर के विभेदक बकाया देयों की वसूली की कार्रवाई सभी चूक कर्ताओं के विरुद्ध मांग सह कारण बताओं नोटिस जारी करने के द्वारा आरम्भ की जा रही थी। कमिश्नरी ने आगे बताया कि दो निर्धारिती 2011-12 तथा 2012-13 के लिए एसटी 3 विवरणी फाइल नहीं कर सके क्योंकि उनकी पंजीकरण संख्याएं एसीईएस पर अभ्यर्पित के रूप में दर्शाई गई हैं।

कमिश्नरी का उत्तर सरकारी खाते को पहुँच रहे प्रेषणों के साथ अभ्यर्पित पंजीकरणों से सम्बन्धित डाटा की प्रति जांच करने के लिए एक तन्त्र स्थापित करने की आवश्यकता को दर्शाता हैं।

हम मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2014)।

7.3.2 सेनवेट क्रेडिट नियमावली 1994 के साथ निर्धारिती के अननुपालन की खोज न करना

सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा नियम पुस्तक 2009 के पैरा 1.2.1 के अनुसार प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य अन्य के साथ समय से विवरणी प्रस्तुतीकरण, समय से देयों का भुगतान सुनिश्चित करना हैं। सेवा कर विवरणी संवीक्षा नियम पुस्तक के पैरा 1.2 ख के अनुसार प्राथमिक संवीक्षा सभी विवरणियों के सम्बन्ध में की जानी हैं। अनुबन्ध 2.1 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा की जांच सूची बताता हैं जो अन्य के साथ क्रमांक. 14(क) विशेष रूप से उल्लेख करता हैं कि विभाग से सत्यापन करने की प्रत्याशा की जाती हैं कि क्या सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3) की शर्तें प्रथम दृष्टया सन्तुष्ट की गई हैं।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 6(3) प्रावधान करता हैं कि अलग लेखे अनुरक्षित न करने वाला आउटपुट सेवा का प्रदाता निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का पालन करेगा (i) आउटपुट सेवा का प्रदाता कर मुक्त

सेवाओं के मूल्य के 5 प्रतिशत (अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक) और 6 प्रतिशत (अप्रैल 2012 से) के बराबर राशि का भुगतान करेगा, अथवा (ii) कर मुक्त वस्तुओं के विनिर्माण में अथवा के संबंध में अथवा कर मुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रयुक्त इनपुट तथा इनपुट सेवाओं को आरोप्य सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

सेवा कर । मुम्बई कमिश्नरी के अधीन मण्डल III की एसटी 3 विवरणियों की संवीक्षा में पता चला कि मै. नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमि. (एनएसडीएल) ने अक्टूबर 2011 से मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान कर योग्य तथा कर मुक्त सेवाएं प्रदान की। निर्धारिती ने उपर्युक्त नियम 6 के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई विकल्प नहीं दिया था। ऊपर कथित अवधि के लिए कर मुक्त सेवाओं का मूल्य ₹ 68.93 लाख बना जिस पर निर्धारिती ने आरोप्य सेनवेट क्रेडिट को वापिस नहीं किया जो ब्याज के साथ वसूली योग्य था। यह देखा गया था कि इन विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा रेंज द्वारा की नहीं गई थीं।

हमारे उल्लेख किए जाने पर (फरवरी 2013) मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2014) कि निर्धारिती ने अप्रैल 2010 से जून 2012 तक की अवधि के लिए ₹ 6.76 लाख के ब्याज के साथ ₹ 14.62 लाख का सेनवेट क्रेडिट को वापिस करके कुल कर देयता का निर्वाह किया था। मंत्रालय का उत्तर विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा करने के लिए रेंज की विफलता पर मौन हैं।

7.4 निर्धारितियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग द्वारा अपनाई गई अनुपालन सत्यापन प्रणाली तीन महत्वपूर्ण भागो विवरणी की संवीक्षा, लेखापरीक्षा तथा अपवंचन रोधी से बनी हैं। लेखापरीक्षा के माध्यम से अनुपालन सत्यापन जोखिम प्राचलों के आधार पर निर्धारिती यूनितों के चयन सहित निर्धारित प्रक्रियाएं अपनाने के द्वारा निर्धारिती परिसरों में लेखापरीक्षा करना और निर्धारित नियमों तथा विनियमों के साथ अनुपालन का स्तर जान लेने के लिए निर्धारिती के अभिलेखों की संवीक्षा करना अपरिहार्य होता है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा को निर्धारितियों के पंजीकृत परिसरों में उनके अभिलेखों की पहुँच के लिए सेवा कर नियमावली 1994 के अन्तर्गत शक्ति प्राप्त है। प्रत्येक कमिश्नरी अपने आन्तरिक लेखापरीक्षा अनुभाग के अन्दर सहायक/उप आयुक्त तथा लेखापरीक्षकों से युक्त और अपर/संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता एक लेखापरीक्षा सेल रखता है। लेखापरीक्षा सेल योजना, मॉनीटरिंग तथा की गई लेखापरीक्षाओं का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है। अधीक्षकों तथा निरीक्षकों से बने लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा योजना के अनुसार और सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तक 2011 के अनुसार निर्धारित परिसरों में लेखापरीक्षा करते हैं।

हमने निर्धारितियों की कवरेज की पर्याप्तता तथा निम्नलिखित दो श्रेणियों (क) विभागीय लेखापरीक्षा दल द्वारा पहले ही लेखापरीक्षित और (ख) लेखापरीक्षा के लिए देय परन्तु सेरा द्वारा लेखापरीक्षा के समय पर विभागीय लेखापरीक्षा द्वारा कवर न किए गए में से एक के अन्तर्गत आने वाले निर्धारितियों की नमूना लेखापरीक्षण दलों द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता की जांच करने का प्रयास किया। हमने ₹ 32.70 करोड़ के सेवा कर निहितार्थ वाले मामले देखे जिन पर निम्नलिखित पैराग्राफों के चर्चा की गई है। हमने 16 मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को ये आपतियां सूचित की, मंत्रालय ने चार मामलों में अन्तर्ग्रस्त राजस्व की मात्रा तक लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और शेष मामलों में हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

7.4.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा पहले ही शामिल चयनित निर्धारित परिसरों में अभिलेखों की सेरा की जांच के दौरान हमने कुछ दृष्टान्त देखे जहाँ कमिश्नरी की लेखापरीक्षा पार्टियों से निर्धारितियों द्वारा अननुपालन के कुछ महत्वपूर्ण मामले उल्लेख करने से छूट गए थे।

7.4.1.1 सेवा कर भुगतान न करना

वित्त अधिनियम 1994 (1 जुलाई 2012 से पूर्व यथा लागू) की धारा 65 के खण्ड 31 के अनुसार “परामर्शी इंजीनियर” का अर्थ किसी व्यावसायिक योग्य इंजीनियर अथवा इंजीनियर अथवा इंजीनियर फर्म से है जो इंजीनियरी के एक अथवा अधिक शिक्षण में ग्राहक को किसी रीति में तकनीकी मामले पर कोई

सलाह परामर्शी कार्य या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देता है परन्तु कम्प्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरी अथवा कम्प्यूटर साफ्टवेयर कार्य के शिक्षण में नहीं।

इसके अलावा सीबीईसी ने अपने परिपत्र दिनांक 11 जुलाई 1997 में परामर्श सेवा का क्षेत्र स्पष्ट किया है जिसमें निर्माण, पर्यवेक्षण तथा परियोजना प्रबन्धन की सेवा शामिल होगी। सीबीईसी ने अपने परिपत्र दिनांक 6 मई 2011 में यह भी स्पष्ट किया कि सड़क, सुरंग तथा पुलो आदि के निर्माण के संबंध में किराए पर ली गई वास्तुकार तथा परामर्श इंजीनियर की सेवाएं सेवा कर के उदग्रहण से मुक्त नहीं होगी।

पटना कमिश्नरी मे मै. राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) लि. को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अन्तर्गत बिहार में सड़क परियोजनाओं के निर्माण पर्यवेक्षण तथा परियोजना प्रबन्धन का कार्य सौंपा गया था और इस कार्य के लिए निर्धारिती को कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की दर पर परामर्श फीस का भुगतान किया गया था। चूंकि निर्माण पर्यवेक्षण तथा परियोजना प्रबन्धन कार्य परामर्शी इंजीनियरी सेवा की परिभाषा के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारिती द्वारा दी गई सेवा कर योग्य सेवा थी। निर्धारिती ने परामर्श फीस के रूप में 2008-09 से 2011-12 तक के दौरान ₹ 96.89 करोड़ प्राप्त किए परन्तु ₹ 10.31 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था।

आन्तरिक लेखापरीक्षा यद्यपि 2009-10 तक की अवधि के लिए की गई थी परन्तु चूक का उल्लेख नहीं किया था जो बाद में सेरा द्वारा खोजा गया था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2013) तब मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2014) कि जारी कारण बताओं नोटिस ₹ 10.31 करोड़ की मांग की पुष्टि करते हुए निर्णय आदेश दिनांक 13 जून 2014 द्वारा निर्णीत किया गया था। निर्धारिती ने ₹ 5.35 करोड़ के ब्याज और ₹ 2.58 करोड़ की शास्ति के साथ सेवा कर राशि का भुगतान कर दिया था। मंत्रालय का उत्तर चूक खोजने में अन्तरिक लेखापरीक्षा दल की विफलता पर मौन है।

7.4.1.2 सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 6(1क) प्रावधान करता है कि सेवा कर भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाशक्ति से केन्द्र सरकार के क्रेडिट को अग्रिम में सेवा कर के रूप में राशि का भुगतान और सेवा कर, जो बाद की अवधि के लिए भुगतान करने का वह दायी है, के प्रति ऐसे प्रदत्त राशि का समायोजन कर सकता है।

बशर्ते कि निर्धारिती

- (i) ऐसे भुगतान की तारीख से पन्द्रह दिनों की अवधि के अन्दर केन्द्रीय उत्पाद के क्षेत्राधिकार अधीक्षक को अग्रिम में प्रदत्त सेवा कर की राशि के ब्यौरे सूचित करेगा, और
- (ii) अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत दाखिल की जाने वाली बाद की विवरणी में किए गए अग्रिम भुगतान और उसके समायोजन, यदि कोई हो, के ब्यौरे दर्शाएगा।

भावनगर कमिश्नरी में गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमि. जुलाई 2009 माह के दौरान की गई निकर्षण सेवा के लिए ₹ 3.67 करोड़ सेवा कर भुगतान करने का दायी था। जुलाई 2009 की एसटी-3 विवरणी से जैसा देखा गया, निर्धारिती ने पीएलए के माध्यम से ₹ 60.87 लाख का भुगतान किया और ₹ 3.07 करोड़ की बकाया राशि पूर्व अवधि में प्रदत्त अग्रिम सेवा कर के प्रति समायोजित की गई बताई गई थी। तथापि हमने अप्रैल 2007 से जून 2009 तक की एसटी-3 विवरणियों में कोई अग्रिम भुगतान नहीं देखा। इसके अलावा सेवा कर के अग्रिम भुगतान की कोई सूचना अथवा साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस प्रकार निर्धारिती ₹ 3.07 करोड़ का सेवा कर भुगतान करने में विफल हो गया।

हमारे बताए जाने पर (मार्च 2013) कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (जनवरी 2014) और सूचित किया कि कारण बताओ नोटिस का जारी किया जाना प्रक्रियाधीन था। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (मई 2014)।

हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

7.4.1.3 सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज भुगतान न करना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 के अनुसार सेवा कर भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित प्रतिशत पर साधारण ब्याज का भुगतान करे यदि देय सेवा कर सरकारी खाते में विलम्ब से अदा किया गया है। अधिसूचनाओं दिनांक 10 सितम्बर 2004 तथा 1 मार्च 2011 के अनुसार ब्याज की दर 31 मार्च 2011 तक 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष और उसके बाद 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी।

बैंगलुरु सेवा कर कमिश्नरी में मै. प्रेस्टिज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लि. बैंगलुरु ने 1 दिन से 38 दिनों के बीच विलम्ब से अक्टूबर 2010 से मार्च 2012 तक की अवधि के लिए सेवा कर भुगतान किया था। तथापि निर्धारिती ने सेवा कर के इन विलम्बित भुगतानों पर ब्याज भुगतान नहीं किया। ऊपर संदर्भित अवधि के लिए देय ब्याज ₹ 14.28 लाख बनता थी।

यद्यपि 2012-13 के दौरान कमिश्नरी के आन्तरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा यूनिट का दौरा किया गया था परन्तु उनके द्वारा ब्याज भुगतान न करना खोजा नहीं गया था और प्राथमिक संवीक्षा में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सेरा द्वारा उल्लेख किए जाने तक यह चूक बिना खोजे रही।

हमारे बताए जाने पर (सितम्बर 2013) मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014) कि निर्धारिती ने जुलाई 2010 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए ब्याज के प्रति ₹ 27.84 लाख अदा कर दिया (दिसम्बर 2013)। मंत्रालय का उत्तर निर्धारिती द्वारा ब्याज की गैर अदायगी को खोजने में विभागीय दलों की विफलता पर मौन है।

7.4.1.4 सेवा कर का भुगतान न करना

कराधान बिन्दु नियमावली 2011 का नियम 3(ख) प्रावधान करता है कि जहाँ सेवा देने वाला व्यक्ति नियम 3 के खण्ड(क) में निर्धारित समय से पूर्व भुगतान प्राप्त करता है वहाँ कराधान का बिन्दु वह समय होगा जब वह ऐसे भुगतान की मात्रा तक ऐसा भुगतान प्राप्त करता है। नियम 3 की व्याख्या भी कहती है कि किसी नाम से ज्ञात द्वारा जब कभी कोई अग्रिम कर योग्य सेवा

के प्रावधान के प्रति सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त किया जाता है तो कराधान का बिन्दु प्रत्येक ऐसे अग्रिम की प्राप्ति की तारीख होगा।

भावनगर कमिशनरी में मै. गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमि. ने ₹ 317.52 करोड़ मूल्य की पोर्ट सेवाएं दी जिसके प्रति इसने जुलाई 2011 तथा मार्च 2012 के बीच ₹ 103.32 करोड़ का अग्रिम भुगतान प्राप्त किया। इस प्रकार निर्धारिती जुलाई 2011 से मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान उपचित आधार पर ₹ 33.77 करोड़ का सेवा कर भुगतान करने का दायी था। तथापि निर्धारिती ने प्राप्ति आधार पर ₹ 32.13 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.64 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य है।

हमारे बताए जाने पर (मार्च 2013) कमिशनरी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (जनवरी 2014) और बताया कि एससीएन जारी किया जा रहा है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

7.4.1.5 गलत वर्गीकरण के कारण सेवा कर का कम भुगतान

वित्त अधिनियम 1994 (1 जुलाई 2012 से पूर्व यथा लागू) की धारा 65 उत्थापन, प्रतिष्ठापन अथवा संस्थापन सेवा को संयंत्र मशीनरी उपकरण अथवा संरचनाओं, चाहे पूर्व सज्जित अथवा अन्यथा के उत्थापन, प्रतिष्ठापन अथवा संस्थापन के संबंध में प्रतिष्ठापन तथा सस्थान एजेंसी द्वारा दी गई किसी सेवा के अर्थ में परिभाषित करती है। सेवा 10 सितम्बर 2004 से कर योग्य है।

कार्य ठेका सेवा 1 जून 2007 से निवल सेवा कर के अधीन आई है और अर्थ एक ठेका से है जिसमें ऐसे ठेका के निष्पादन में अन्तर्गस्त वस्तुओं में सम्पत्ति का हस्तान्तर माल की बिक्री के रूप में कर को दायी है और ऐसा ठेका वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 के उप खण्ड (जेडजेडजेडए) के अन्तर्गत यथा निर्धारित कार्य करने के प्रयोजन हेतु है।

आगे सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली 2006 के अनुसार कर योग्य सेवा का मूल्य कथित नियमों के नियम 6 के अन्तर्गत यथा उल्लिखित मर्दों के मूल्य को छोड़कर ऐसी सेवाएं देने के लिए प्रभारित "सकल राशि" है।

इसके अलावा अधिनियम की धारा 75 परिकल्पना करती है कि सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर निर्धारित दर पर ब्याज देय है।

इस प्रकार उपर्युक्त से यह परिणाम निकलता है कि यदि विशिष्ट ठेका कार्य ठेका है जिस पर वैट/बिक्री कर देय है तो सेवा कार्य ठेका सेवा के अन्तर्गत कर योग्य होगा। यदि ठेका एक सामान्य सेवा ठेका है (अर्थात् या तो कोई सामग्री अन्तर्गस्त नहीं है अथवा यदि सामग्री अन्तर्गस्त है तो वैट/बिक्री कर देय नहीं है) तो सेवा कर योग्य सेवा के सम्बन्धित शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकरणीय होगी।

कोलकाता सेवा कर कमिश्नरी में मै. स्टील प्रोडक्ट्स लिमि.(यू-11) ने 400 केवी डी/सी अकोला-औरंगाबाद ट्रांसमिशन लाइन के उत्थापन के लिए एचजी पावर ट्रांसमिशन एसडीएन बीएमडी, सेलांगर, मलेशिया के साथ एक अनुबन्ध किया। कार्य के क्षेत्र में टावरों का उत्थापन, उत्थापित 400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन का परीक्षण तथा चालू करना आदि शामिल किए गए। निर्धारिती ने ऐसी सेवाओं के लिए एचजी पावर ट्रांसमिशन को बिल जारी किए और कार्य ठेका सेवा के अन्तर्गत 2 प्रतिशत अथवा 4 प्रतिशत (यथा लागू) की दर पर सेवा कर भुगतान किया। चूंकि सेवा में सम्पत्ति का हस्तान्तरण अन्तर्गस्त नहीं था और ऐसे कार्य पर बिक्री कर देय नहीं था अथवा अदा नहीं किया गया था इसलिए निर्धारिती को उत्थापन प्रतिष्ठापन अथवा संस्थापन के अन्तर्गत 12 प्रतिशत (अथवा यथा संशोधित) की दर पर सेवा कर भुगतान करना चाहिए था। इस प्रकार सेवा के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2007 से मार्च 2009 तक की अवधि के दौरान ₹ 65.10 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

हमारे बताए जाने पर (अक्टूबर 2009) कमिश्नरी ने आपत्ति स्वीकार कर ली (फरवरी 2013)। इसके अलावा कमिश्नरी ने लागू ब्याज तथा शास्ति की बराबर राशि के साथ अक्टूबर 2007 से मार्च 2012 तक की अवधि को शामिल कर ₹ 82.93 लाख के सेवा कर को एक कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रस्तुत की (अप्रैल 2013)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

7.4.1.6 अन्य मामलें

हमने पांच अन्य मामलों में निर्धारितियों द्वारा सेवा कर की गैर अदायगी/कम अदायगी, सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ आदि के ₹ 88.21 लाख के दृष्टान्त देखे जो विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा बताए नहीं गए थे। कमिश्नरियों ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली।

हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

हमने देखा कि यद्यपि उपर्युक्त सभी मामलों में कमिश्नरी के आन्तरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई थी परन्तु सेरा के बताए जाने तक चूक खोजने से रह गई।

7.4.2 सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तक प्रावधानों की अपर्याप्तता

26 मई 2013 को मुख्य आयुक्तों को परिचालित महानिदेशक सेवा कर की कार्ययोजना के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके द्वारा प्राप्त की जा रही विभिन्न सेवाओं से सम्बन्धित पीएसयूज तथा सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों सहित प्रमुख निर्धारितियों से सूचना प्राप्त करने और उनके पते सहित ऐसे सेवा प्रदाताओं के ब्यौरे प्राप्त करने की अपेक्षा की गई थी। इसके अलावा, प्रत्येक रेंज अधिकारी को उनके द्वारा प्राप्त की जा रही विभिन्न सेवाओं के सम्बंध में पीएसयूज सहित प्रमुख निर्धारितियों से सूचना प्राप्त करनी थी और कर आधार को विस्तृत करने के लिए ऐसे सेवा प्रदाताओं के ब्यौरे प्राप्त करने थे। तथापि सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तक 2011 में ऐसा कोई अनुकूल प्रावधान नहीं था जो सम्बंधित कमिश्नरी/मण्डल/रेंज के आन्तरिक लेखापरीक्षा सेल के लिए समान ब्यौरे संग्रहीत (निर्धारित परिसरों में लेखापरीक्षा के दौरान) और भेजने के लिए सेवा कर लेखापरीक्षा दलों को बाध्यकारी बनाए।

जमशेदपुर कमिश्नरी में मुख्यतया दूरसंचार सेवा आदि देने में लगा मै. तारापुर एण्ड कम्पनी लि. ने अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक की अवधि के दौरान 22 जनशक्ति भर्ती एजेंसियों को ₹ 5.68 करोड़ का भुगतान किया परन्तु इन सेवा प्रदाताओं द्वारा 10.30 प्रतिशत की दर पर ₹ 58.50 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था।

हमने देखा कि एक आन्तरिक लेखापरीक्षा टीम ने दिसम्बर 2010 तथा जनवरी 2012 में मै. तारापुर एण्ड कम्पनी लि. में लेखापरीक्षा की थी परन्तु कमिश्नरी अथवा सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को इन सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा कर देयता/प्रावधान को पूरा न करने के बारे में कोई ब्यौरे सूचित करने में विफल हो गए थे जो चूककर्ता सेवा प्रदाताओं के प्रति कार्रवाई आरम्भ करने को सरल बना देता।

हमारे बताए जाने पर (सितम्बर 2011) मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार करते हुए सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि 19 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और तीन मामलों में निर्धारितियों ने ब्याज के साथ सेवा कर जमा कर दिया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि नवम्बर 2014 में नयम पुस्तक में पैरा सं. 7.6.7 के समावेशन के माध्यम से सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तक 2011 में वांछित परिवर्तन किए गए हैं। **लेखापरीक्षा का मत है कि समान प्रावधान केन्द्रीय उत्पाद लेखापरीक्षा नियम पुस्तक 2008 में सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि बड़े विनिर्माता भी अनेक सेवा प्रदाताओं, जो उनसे सेवा कर भी प्रभारित करते हैं, से इनपुट सेवाएं प्राप्त करते हैं।**

7.4.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा अनिवार्य यूनिटों की कवरेज के प्रतिमानों का अपर्याप्त अनुपालन

सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तक, 2011 का पैरा 5.1.2 परिकल्पना करता है कि एक वर्ष में ₹ 3 करोड़ अथवा अधिक (नकद + सेनवेट) का सेवा कर भुगतान करने वाले सेवा प्रदाताओं की प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा की जानी है।

7.4.3.1 जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं पर सेवा कर भुगतान न करना

परिसर सेवा के निर्माण पर सेवा कर अधिसूचना दिनांक 7 जून 2005 द्वारा 16 जून 2005 से वित्त अधिनियम, 1994 (1 जुलाई 2012 से पूर्व यथा लागू) की धारा 65 की उपधारा 105 (जजेडजेडजेडएच) के अन्तर्गत सेवा कर उदग्राह्य है। धारा 65(30क) परिसर के निर्माण को नए आवासीय परिसर अथवा उसके एक भाग, का निर्माण आवासीय परिसर के संबंध में समापन

तथा परिष्करण सेवाएं और मरम्मत, परिवर्तन, नेवीकरण अथवा समान सेवाओं का पुनरूद्धार सहित के रूप में परिभाषित करती है।

इसके अलावा 'आवासीय परिसर' का अर्थ अधिनियम की धारा 65(91क) के द्वारा बारह आवासीय यूनिटों से अधिक वाले भवन अथवा भवनों, एक सामूहिक क्षेत्र और सुविधाएं अथवा सेवाएं जैसे पार्क, लिफ्ट पार्किंग स्थान आदि से बने परिसर से है।

1 जुलाई 2010 से अधिसूचना दिनांक 22 जून 2010, ने जवाहरलाल नेहरू नैशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) तथा राजीव आवास योजना को करमुक्त कर दिया।

अहमदाबाद सेवा कर कमिश्नरी में मै. एमवी ओमनी प्रोजेक्ट (आई) लि. 2007-08 से 2010-11 तक के वर्षों के दौरान जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं के अन्तर्गत अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी), वडोदरा महानगर सेवा सदन (वीएमएसएस-बीएजी) तथा वडोदरा महानगर सेवा सदन-किशनवाडी को परिसर सेवा का निर्माण देने में लगा था।

अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती ने प्रत्येक ब्लॉक में 12 आवासीय यूनिटों से अधिक वाले गृह ब्लॉकों के निर्माण की सेवाएं प्रदान की और अक्टूबर 2007 तथा मई 2010 के बीच तीन परियोजनाओं के लिए ₹ 70.14 करोड़ (टीडीएस सहित) प्राप्त किए। ₹ 41.74 करोड़ के उपशमन के बाद निर्धारिती ₹ 1.86 करोड़ के सेवा कर भुगतान करने का दायी था तथापि निर्धारिती ने किसी सेवा कर का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप उपशमित मूल्य पर ₹ 1.86 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

हमारे बताए जाने पर (जून 2011) कमिश्नरी ने सूचित किया (जुलाई 2013) कि इस मामले में जारी कारण बताओं नोटिस (अक्टूबर 2011) ₹ 1.86 करोड़ की मांग की पुष्टि करते हुए निर्णय हो गया था (फरवरी 2013)।

हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

7.4.3.2 कराधान बिन्दु नियमों का अननुपालन

अधिसूचना दिनांक 27 जून 2011 के साथ पठित अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2011 द्वारा यथा संशोधित कराधान बिन्दु नियमावली 2011 का नियम 3

प्रावधान करता है कि जब तक अन्यथा प्रावधान न किया जाए 1 जुलाई 2011 से 'कराधान का बिन्दु' वह समय होगा जब की गई अथवा दिए जाने वाली सेवा के लिए बीजक जारी किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति जो बिना अधिनियम 1994 की धारा 75 प्रावधान करती है कि निर्धारित अवधि के अन्दर केन्द्र सरकार के खाते को कर अथवा उसके किसी भाग को क्रेडिट करने में विफल हो जाता है, ऐसी दर, जो उस समय केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, पर साधारण ब्याज अदा करेगा।

मुम्बई एसटी-कमिशनरी की डिविजन 1 में मै. एमीरात वायु सेवाओं द्वारा घरेलू/अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा पर यात्रियों को चढाने, कार्गो प्रहस्तन सेवाओं, वायु सेवाओं द्वारा माल का परिवहन आदि परिवहन की श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती आईएटीए(अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ) अधिकृत एजेंटों के माध्यम से टिकटें बेच रहा था और आईएटीए बिलिंग सेटलमेंट प्लान (बीएसपी) के माध्यम से बिक्री रिपोर्ट प्राप्त कर रहा था। बीएसपी के अनुसार निर्धारिती पाक्षिक आधार पर बिक्री रिपोर्ट प्राप्त कर रहा था अर्थात् माह के पहले पक्ष की बिक्री रिपोर्ट उसी माह के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुई थी इस प्रकार, राशि बिक्री माह के अनुवर्ती माह में निर्धारिती के लेखों को क्रेडिट की गई थी और द्वितीय पक्ष के लिए अगले माह के पहले सप्ताह में प्राप्त हुई थी। इसके अलावा जुलाई 2011 से मार्च 2012 तक के सेवा कर कार्यचालन और एसटी-3 विवरणी के ब्यौरों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती प्राप्ति आधार पर अर्थात् कराधान बिन्दु नियमावली 2011, के प्रावधानों का पालन किए बिना अपने एजेंटों से केवल राशि प्राप्त करने के बाद सेवा कर भुगतान कर रहा था। जिसके परिणामस्वरूप सेवा कर का विलम्बित भुगतान हुआ जिस पर ₹ 1.59 करोड़ का ब्याज वसूल किए जाने की आवश्यकता है।

हमारे बताए जाने पर (मार्च 2013) कमिशनरी ने सूचित किया (अप्रैल 2013) कि प्रथम दृष्टया आपत्ति स्वीकार की जाती है। कमिशनरी ने बताया कि वे ऐसे मामलों से अवगत हैं और कमिशनरी का आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग अप्रैल 2013 के दौरान कथित निर्धारिती की लेखापरीक्षा कर रहा था।

हमने देखा कि यद्यपि मामला कमिश्नरी की जानकारी में था परन्तु उन्होंने किसी भी अनुपालन सत्यापन विधियों जैसे संवीक्षा अथवा आन्तरिक लेखापरीक्षा (यद्यपि निर्धारिती श्रेणी ए यूनिट था) के माध्यम से उसका उल्लेख नहीं किया था जब तक सेरा ने आपत्ति का उल्लेख नहीं किया। निर्धारिती को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था जैसा वित्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की धारा 73 के अन्तर्गत अपेक्षित था। कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा के चूक बताए जाने तक ब्याज राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की।

हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

7.4.3.3 अवमूल्यांकन के कारण सेवा कर का कम भुगतान

सीबीईसी के परिपत्र फा.सं बी 1/6/2005 टीआरयू दिनांक 27 जुलाई 2005 के पैरा 14.5 के अनुसार यदि वाणिज्यिक परिसर के निर्माण का ठेका एकल ठेका है और सड़कों का निर्माण ठेका के अनुसार अलग कार्यकलाप के रूप में पंजीकृत नहीं है तब सेवा कर सड़क के निर्माण के मूल्य सहित निर्माण के लिए प्रभारित एकल राशि पर उदग्राह्य होगा।

दोबारा ऊपर उद्धृत परिपत्र के पैरा 14.6 के अनुसार जब अनेक भिन्न घटकों से बने ठेका के अन्तर्गत दी गई सेवाओं पर प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर एक दृष्टिकोण लिया जाना है कि क्या सेवा प्रदान ने एकल समग्र आपूर्ति अथवा विभिन्न सेवाओं की आपूर्ति की है जो भिन्न प्रकार मानी जानी है।

इसके अलावा वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 परिकल्पना करती है कि सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर निर्धारित दर पर ब्याज देय है।

कोलकाता सेवा कर कमिश्नरी में मै. सुभाष प्रोजेक्ट एण्ड मार्केटिंग लि. (एसपीएमएल) विभिन्न करयोग्य सेवाएं जैसे 'निर्माण सेवाएं', उत्थापन, प्रतिष्ठापन तथा संस्थापन सेवाएं और 'अनुरक्षण तथा मरम्मत सेवाएं' देने में लगा था। हमने देखा कि दी वेस्ट बंगाल पावर डवलपमेंट कारपोरेशन लि. (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) ने मै. एसपीएमएल को पंचेट बांध जलाशय से संचालनीह टीपीएस (ओसी 125) तक उत्थापन तथा कच्चा पानी रचना प्रणाली के लिए

टर्नकी पैकेज के लिए ठेका दिया था। इस परियोजना के निर्माण का ठेका मूल्य ₹ 33.13 करोड़ था। अनुबंध के मूल्य विघटन की संवीक्षा से पता चला कि ठेका का सिविल भाग अलग-अलग यूनिटों जैसे आवासीय क्वार्टर, रोड क्रॉसिंग, और पाइप पुल, सर्विस रोड आदि में विभक्त किया गया था। हमने आगे देखा कि निर्धारिती ने उपर्युक्त सेवाओं को कर मुक्त माना और आर बिलों के माध्यम से प्राप्त राशि पर सेवा कर भुगतान नहीं किया। इसके अलावा बिलिंग तथ संग्रहण ब्यौरों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने कथित सेवाओं के लिए 2007-08 तथा 2008-09 वर्षों के लिए ₹ 5.33 करोड़ की राशि प्राप्त की थी। चूंकि उपर्युक्त ठेका एकल ठेका था इसलिए सड़क, पुलों आदि का निर्माण प्रथक कार्यकलाप के रूप में मान्य नहीं है इसलिए ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त ठेका के अन्तर्गत निर्धारिती द्वारा सड़क, पुलों आदि के निर्माण मूल्य सहित ठेका के लिए प्रभारित से सकल राशि पर सेवा कर प्रभार्य था। इसके परिणामस्वरूप 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान ₹ 5.33 करोड़ की मात्रा तक अवमूल्यांकन के कारण उपकर सहित ₹ 65.87 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

हमारे बताएं जाने पर (मार्च 2010) कमिश्नरी ने मामला स्वीकार कर लिया और सूचित किया (अप्रैल 2014) कि लागू ब्याज तथा शास्ति के साथ मांग की पुष्टि हो गई है।

हमें मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

7.4.3.4 सेवा कर जमा न करना

सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 6(1)(i) प्रावधान करता है कि अनुवर्ती माह के छठवे दिन तक केन्द्र सरकार खाते को सेवा कर क्रेडिट करना होगा यदि शुल्क इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जाता है और अन्य मामले में पांचवे दिन तक जमा किया जाता है। इसके अलावा यथा संशोधित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73क के अनुसार कोई व्यक्ति, जो सेवा कर भुगतान करने का दायी है और सेवा कर के रूप में किसी रीति में कोई राशि संग्रहीत की है, ऐसा व्यक्ति ऐसे संग्रहीत राशि को केन्द्र सरकार के क्रेडिट को अविलम्ब जमा करेगा।

हमने देखा कि जमशेदपुर कमिश्नरी में मै. ओरस इंडिया प्रा. लि. मनोहरपुर, पश्चिम सिंहभूमि ने मै. इस्को से अक्टूबर 2010 से मार्च 2011 तक की अवधि के दौरान सेवा कर के रूप में ₹ 86.10 लाख की राशि प्राप्त की। निर्धारिती ने इनुपट क्रेडिट के रूप में ₹ 33.68 लाख की राशि समायोजित की परन्तु वित्त अधिनियम तथा उक्त नियम 6(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत यथा अपेक्षित अक्टूबर 2010 से मार्च 2011 तक की अवधि के दौरान वसूली गई राशि के प्रति ₹ 52.43 लाख जमा नहीं किया।

हमारे बताए जाने पर (अक्टूबर 2011) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और बताया (सितम्बर 2014) कि निर्धारिती ने ₹ 8.50 लाख (नवम्बर 2011 से जनवरी 2012 तक के दौरान) के ब्याज सहित ₹ 61.54 लाख को सेवा कर जमा कर दिया है। मंत्रालय का उत्तर निर्धारिती की आन्तरिक लेखापरीक्षा न करने पर मौन है।

7.4.3.5 सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनुदग्रहण

1 अप्रैल 2011 से यथा संशोधित कराधान बिन्दु नियमावली 2011 का नियम 7 प्रावधान करता है कि जब सेवा कर प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अन्तर्गत देय है तब कराधान का बिन्दु वह तारीख होगा जिसको सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाता है यदि ऐसी सेवा के लिए भुगतान बीजक की तारीख से छः माह के अन्दर नहीं किया जाता है तथापि यदि ऐसी सेवा भुगतान बीजक की तारीख से छह माह के अन्दर नहीं किया जाता है तब कराधान का बिन्दु ऐसे निर्धारित किया जाएगा मानो नियम 7 विद्यमान नहीं है और यथा लागू नियम 3,4,5,8 अथवा 8क के अन्तर्गत निर्धारित किए जाएंगे। इस मामले में ब्याज भी लागू होगा।

इसके अलावा उपर्युक्त कराधान बिन्दु नियमावली का नियम 3(क) प्रावधान करता है कि कराधान का बिन्दु वह समय होगा जब बीजक जारी किया जाता है यदि बीजक सेवा के समापन की तारीख से 30 दिनों के अन्दर जारी किया जाता है।

इसके अलावा यथा संशोधित सेवा कर नियमों का नियम 6(i) प्रावधान करता है कि सेवा कर माह/तिमाही, जिसमें सेवा दी गई मानी गई है, के तत्काल बाद के माह/तिमाही के 5/6वे दिन तक सरकार के क्रेडिट को जमा किया

जाएगा। नियत तारीख तक सेवा कर भुगतान करने में विफलता विलम्बित भुगतान के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज लगता है।

जमशेदपुर कमिश्नरी में मै. जमशेदपुर कन्टिनुअस एनीलिंग एण्ड प्रोसेसिंग कम्पनी प्रा. लि. ने मै. निपॉन स्टील कार्पोरेशन जापान के साथ संयुक्त उद्यम की कन्टिनुअस एनीलिंग एण्ड प्रोसेसिंग लाइन के लिए लाइसेंस तथा प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण हेतु एक अनुबन्ध किया और ₹ 31.62 करोड़ के भुगतान पर उसकी सेवाएं प्राप्त की जिन पर निर्धारित सेवा कर नियमों के नियम 2(1) (घ) (iv) के अनुसार प्रतिलोम प्रभार तन्त्र के अन्तर्गत सेवा कर भुगतान करने का दायी था। यह आगे देखा गया था कि विदेशी सेवा प्रदाता ने कार्य के समापन के बाद (निर्धारित अवधि के अन्दर) मई तथा अगस्त 2012 के बिल प्रस्तुत किए गए थे परन्तु सेवा कर का भुगतान बीजक जारी करने के छः माह बाद मार्च 2013 में किया गया था। इस प्रकार निर्धारित कराधान बिन्दु नियमावली के नियम 3(क) के अन्तर्गत सेवा कर के विलम्बित भुगतान के लिए ₹ 40.02 लाख के ब्याज भुगतान करने का दायी था क्योंकि कराधान का बिन्दु तब उत्पन्न हुआ जब बीजक जारी किए गए थे।

हमारे बताए जाने पर (जुलाई 2013) कमिश्नरी ने लेखापरीखा आपत्ति स्वीकार कर ली और बताया (जनवरी 2014) कि निर्धारित ने ₹ 40.02 लाख के ब्याज का भुगतान कर दिया है।

हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

यद्यपि सभी मामलों में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा यूनिट की वार्षिक लेखापरीक्षा की जानी थी परन्तु आन्तरिक लेखापरीखा नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप यह चूक सेरा द्वारा बताए जाने तक पहचान में नहीं आया।

7.5 अन्य मामले

आवधिक कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73 के अनुसार सामान्यतया कारण बताओ नोटिस एक वर्ष के अन्दर (28 मई 2012 से '18 माह') अन्दर शुल्क अपवंचन के इरादे से गबन, साठगांठ, दुराग्रही गलत कथन, तथ्यों के छिपाव

आदि के मामले में सुसंगत तारीख से पांच वर्षों की अवधि के अन्दर जारी किया जाना है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 73(6)(ख) के अनुसार सुसंगत का अर्थ अन्य के साथ जहां कोई आवधिक विवरणियां जैसा ऊपर कहा गया, दायित्व नहीं की जाती हैं वहां अन्तिम तारीख जिसको कथित नियमों के अन्तर्गत दाखिल की जाने वाली विवरणियां दाखिल की जाती हैं, से है। उच्चतम न्यायालय ने मै. निजाम सुगर लि. बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त 2006(197) ईएलटी 465(एससी) के मामले में निर्णय दिया है कि पांच वर्षों की बढ़ाई गई अवधि बाद के कारण बताओ नोटिस, जो पूर्व कारण बताओ नोटिस के उन्हीं तथ्यों के आधार पर जारी किया गया था, जारी करने के लिए विभाग को उपलब्ध नहीं था क्योंकि सम्पूर्ण तथ्य विभाग की जानकारी में थे और इसलिए प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जा सकता है।

रायगढ़ कमिश्नरी में अनुरक्षित एससीएन तथा निर्णयादेश अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि सेवा श्रेणियों यथा कारबार सहायक सेवाओं, भण्डारण तथा भण्डारण सेवाओं तथा माल परिवहन सेवाओं के लिए 2005-06 से 2008-09 तक की अवधि के लिए प्रतिलोम प्रभार आधार के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न करने के कारण ₹ 3.82 करोड़ की मांगकर अक्टूबर 2010 में एक ईओयू निर्धारिती मै. हानिल सेरा टेक्स्टाइल लि. को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कारण बताओ नोटिस निर्णय आदेश दिनांक 30 मार्च 2012 को निर्णयादेशित था।

तथापि कमिश्नरी न तो 2009-10 की अवधि पहले कारण बताओ नोटिस में शामिल की थी और न ही एक वर्ष की निर्धारित अवधि के अन्दर 2009-10 की अवधि के लिए आवधिक कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

हमारे बताए जाने पर (जुलाई 2012) कमिश्नरी ने बताया (दिसम्बर 2013) कि अप्रैल 2009 से मार्च 2011 तक की अवधि के लिए सेवा कर का भुगतान न करने के लिए ₹ 63.13 लाख की राशि का कारण बताओ सह मांग नोटिस जारी करने के लिए जून 2013 में निर्णयादेश अनुभाग को प्रस्तुत किया गया था। एससीएन जारी करने की अन्तिम तारीख 24 अक्टूबर 2014 होनी बताई गई थी।

तथापि चार वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद बढ़ाई गई अवधि के प्रावधान लागू कर 2009-11 अवधि के लिए आवधिक कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में निजाम सुगर लि. बनाम आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आंध्र प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय के ऊपर उल्लिखित निर्णय के मद्देनजर अनियमित है। इस प्रकार चालू निर्णयादेश मामलों के संबंध में आवधिक कारण बताओ नोटिस जारी करने की आवश्यकता की अनुचित मॉनीटरिंग के कारण 63.13 लाख की राशि काल बाधित हो गई है। धारा 73(6)(ख) द्वारा जानेपर भी जहां आवधिक विवरणियां फाइल नहीं की जाती हैं वहां सुसंगत तारीख अन्तिम तारीख होगी जिसको ऐसी विवरणियां फाइल की जानी थी इसलिए इस मामले में निर्धारित अवधि समाप्त हो गई थी।

हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

नई दिल्ली

दिनांक: 20 मार्च 2015

संजीव गोयल

(संजीव गोयल)

प्रधान निदेशक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

(शशि कान्त शर्मा)

दिनांक: 21 मार्च 2015

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक